न्यायालयः—सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड़ अधिकारी रायपुर (ब्यावर)

पीठासीन अधिकारी :—श्री गुलाब सिंह वर्मा आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :— 47 /2021

प्रकरण दर्ज तिथि :— 25.08.2021

जीसीएमएस नम्बर :— 2021/136

1. बुधासिंह पुत्र श्री धनासिंह, उम्र—व्यस्क,
2. आमना पत्नि श्री विक्रमसिंह, उम्र—व्यस्क,
3. मंन्जुकंवर पत्नि श्री रविन्द्रसिंह, उम्र—व्यस्क,
4. मनोहरसिंह पुत्र श्री बुधासिंह, उम्र—व्यस्क,
5. विक्रमसिंह पुत्र श्री बुधासिंह, उम्र—व्यस्क,
6. सुशीला पत्नि श्री मनोहरसिंह, उम्र—व्यस्क, जाति—मेर (मेहरात), निवासी—कोलपुरा, तहसील—रायपुर,

वादीगण

बनाम

1. अजमाल पुत्र श्री मोती, उम्र—व्यस्क,
2. अनोपसिंह पुत्र श्री समदा, उम्र—व्यस्क,
3. इन्द्रा पत्नि श्री मंगला, उम्र—व्यस्क,
4. उजीरी पत्नि श्री मोती, उम्र—व्यस्क,
5. उजीरी पत्नि श्री नाथु, उम्र—व्यस्क,
6. उम्मेद पुत्र श्री नाथु, उम्र—व्यस्क,
7. कचरू पुत्र श्री नसीबा, उम्र—व्यस्क,
8. कप्तानसिंह पुत्र श्री हुसैन, उम्र—व्यस्क,
9. कोयली पुत्र श्री बुधासिंह, उम्र—व्यस्क,
10. घीसी पत्नि श्री छीतर, उम्र—व्यस्क,
11. घीसी पत्नि श्री नसीबा, उम्र—व्यस्क,
12. छगा पुत्री श्री नसीबा, उम्र—व्यस्क,
13. छीतर पुत्र श्री अजा, उम्र—व्यस्क,
14. छोगा पुत्र श्री गम्भीरा, उम्र—व्यस्क,
15. छोटु पुत्र श्री गम्भीरा, उम्र—व्यस्क,
16. छोटु पुत्र श्री अमी, उम्र—व्यस्क,
17. छोटुसिंह पुत्र श्री छीतर, उम्र—व्यस्क,
18. जुमी पत्नि श्री रहमान, उम्र—व्यस्क,
19. जरीफी पुत्री श्री नजा, उम्र—व्यस्क,
20. जवरी पुत्र श्री गम्भीरा, उम्र—व्यस्क,
21. जोधा पुत्र श्री समा, उम्र—व्यस्क,
22. दुर्गा पुत्री श्री समदा, उम्र—व्यस्क,
23. दाखुदेवी पत्नि श्री मदनसिंह, उम्र—व्यस्क,
24. धुली पुत्री श्री बादर, उम्र—व्यस्क,
25. नजावी पत्नि श्री मंगला, उम्र—व्यस्क,
26. नैना पुत्री श्री नसीबा, उम्र—व्यस्क,
27. नुरी पत्नि श्री मिश्रु, उम्र—व्यस्क,
28. पदमा पुत्र श्री मोती, उम्र—व्यस्क,
29. पुनमसिंह पुत्र श्री किशना, उम्र—व्यस्क,
30. प्रताप पुत्र श्री समा, उम्र—व्यस्क,
31. बनी पुत्री श्री बादर, उम्र—व्यस्क,
32. बाबु पुत्र श्री नाथु, उम्र—व्यस्क,
33. बाबु पुत्र श्री समा, उम्र—व्यस्क,
34. बाबुसिंह पुत्र श्री नजा, उम्र—व्यस्क,
35. भंवरू पुत्र श्री गम्भीरा, उम्र—व्यस्क,
36. महेन्द्र पुत्र श्री मिश्रु, उम्र—व्यस्क,
37. मेहफुल पुत्री श्री समा, उम्र—व्यस्क,
38. मादा पुत्र श्री नुरा, उम्र—व्यस्क,
39. मानसिंह पुत्र श्री किशना, उम्र—व्यस्क,
40. मिठु पुत्र श्री गम्भीरा, उम्र—व्यस्क,
41. मोटा पुत्र श्री अमी, उम्र—व्यस्क,
42. मोहन पुत्र श्री हुसैन, उम्र—व्यस्क,

11/8/21
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
रायपुर (ब्यावर)

मोहनसिंह पुत्र श्री किशना, उम–व्यस्क,
43 रतन पुत्र श्री मंगला, उम–व्यस्क,
रविन्द्रसिंह पुत्र श्री बुद्धासिंह, उम–व्यस्क,
45 रामसिंह पुत्र श्री नजा, उम–व्यस्क,
46 रोशन पुत्र श्री दाउ, उम–व्यस्क,
47 लक्ष्मी पुत्री श्री बादर, उम–व्यस्क,
48 लादु पुत्र श्री बादर, उम–व्यस्क,
49 लाला पुत्र श्री गम्भीरा, उम–व्यस्क,
50 विरेन्द्रसिंह पुत्र श्री मिश्रु, उम–व्यस्क,
51 शान्ती पुत्री श्री रामा, उम–व्यस्क,
52 शान्ति पुत्री श्री नरसीबा, उम–व्यस्क,
53 सुगरा पुत्री श्री दाउ, उम–व्यस्क,
54 सायर पुत्र श्री रामा, उम–व्यस्क,
55 सोहन पुत्र श्री हुसैन, उम–व्यस्क,
56 हुकम पुत्र श्री हुसैन, उम–व्यस्क,
57 हरि पुत्र श्री जफरू, उम–व्यस्क,
58 हाबु पत्नि श्री किशना, उम–व्यस्क, समस्त प्रतिवादीगण जातियान–मेर(मेहरात), निवासी–कोलपरा बाबरा
59 तहसील–रायपुर जिला पाली राज.
भुमि अवाप्ति अधिकारी, रायपुर राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 158 रास–ब्यावर–माण्डल भुमि अवाप्ति कार्यालय रायपुर
60 तहसील रायपुर जिला पाली राज.
प्रोजेक्ट मैनेजर राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 158 रास–ब्यावर–माण्डल ब्यावर जिला अजमेर
61.
62 राजस्थान सरकार बजरिये लैण्ड होल्डर श्रीमान तहसीलदार महोदय, रायपुर,

दावा बाबत् तकास्मा एवं स्थाई निषेधाज्ञा वादपत्र अन्तर्गत धारा 53 ' 92 व 188 राज. काश्त. अधि.

1 श्री जसवंत सिंह सांखला अधिवक्ता वादी उपस्थित
2 प्रतिवादीगण अनुपस्थित

निर्णय

दिनांकः 11.12.2024

वादी की ओर से वकील श्री जसवंत सिंह सांखला द्वारा दावा बाबत् बंटवाड़ा एवं स्थाई निषेधाज्ञा वादपत्र अन्तर्गत धारा 53 'ए' 92 एवं 188 राज. काश्त. अधि. के तहत विरूद्ध प्रतिवादीगण न्यायालय में पेश किया गया है। वाद पत्र का संक्षिप्त विवरण यह है कि सरहद मौजा कोलपुरा, पटवार हल्का बाबरा, भू अभि. निरि. क्षैत्र बाबरा, के खसरा नम्बर 2448 रकबा 5.6170 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम स्थित हैं। उपरोक्त वर्णीत आराजीयात को आगे वादपत्र में वादग्रस्त आराजियात के नाम से सम्बोधित किया जाएगा, तथा वादपत्र के साथ जमाबन्दी सवत 2075–2078 की प्रमाणित प्रति, नक्शा ट्रेश की आनलाईन नकल तथा नजरी नक्शे कि प्रति पेश की जा रही हैं, जिसे वादपत्र का आवश्यक भाग के रूप में पढा जावें। उपरोक्त वाद पत्र के पद 1 में वर्णीत वादग्रस्त आराजीयात मे से वादीगण का राजस्व रेकर्ड मे दर्ज हिस्सा अनुसार हिस्सा बनता है उस हिस्से का वादीगण खातेदार काश्तकार रेकर्ड दर्ज है, जो वादीगण सं. 1 की पुश्तैनी भुमि तथा प्रतिवादी सं. 2 से लगायत 6 की खरीदशुदा भुमि है एवं उन्होने विवादित भुमि मे हिस्सा खरीद कर खातेदारी अधिकार प्राप्त किये है। वादी ने जिससे खरीद की उनके मध्य प्रतिवादीगण के मध्य राजस्व रेकर्ड मे दर्ज अनुसार मौके पर बटी हुई है एवं उस पर उसी अनुसार काबिज होकर काश्त कर रहे है। उन रजिस्ट्री अनुसार वादी सं. 2 से लगायत 6 खरीद दिंनाक से आज दिंनाक तक कब्जा काश्त कर रहे है जो नजरी नक्शे मे लाल रंग से दर्शायी हुई । उक्त लाल रंग कि दर्शायी भुमि पर वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 9, 45 का शामलाती कब्जा काश्त है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण जो राजस्व रेकर्ड आफलाईन जमाबन्दी सवत् 2075 से 2078 के अनुसार कब्जा हे एवं काश्त करते आ रहे थी जिसे नजरी नक्शे मे वादीगण तथा प्रतिवादी सं. 9, 45 का शामलाती लाल रंग व शेष प्रतिवादीगण का बिना रंग द्वारा कब्जा काश्त अनुसार हिस्सा दर्शाया हुआ है। प्रतिवादी सं 1 से 59 उपरौक्त विवादित आराजी के रिकार्डेड सह खातेदार है वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 से लगायत 59 के मध्य वादपत्र के पैरा नंबर 1 में वर्णित आराजी कृषि भूमि कई वर्षो से मोके पर आपस मे बंटी हुई है एवं वादीगण एवं प्रतिवादीगण मौके रेकर्ड अनुसार अपने अपने हिस्से पर काबिज काश्त चले आ रहे है। वादी एवं प्रतिवादीगण की सम्पुर्ण भुमि एक खाते मे शामलाती दर्ज है व नक्शा में भी विवादित खसरा की भुमि की एकं जोत दर्शाई गयी है। मोके के कब्जे व काश्त के आधार पर अलग अलग तरमीन नहीं की हुई है । वादी एवं प्रतिवादीगण मे अलग अलग तरमीन नही होने के कारण उसका फायदा उठाकर प्रतिवादीगण ने उस पर कब्जा करने कि नियत रखते है। कब्जे को लेकर आए–दिन झगडा–फसाद होते रहते हैं। इसलिये वादीगण एवं प्रतिवादीगण सं. 1 से लगायत 59के मध्य आपसी विवाद उत्पन्न होते रहते हैं। विवादित भुमि खसरा सं.

उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर
रायपुर (ब्यावर)

2448 की खातेदारी भुमि मे से कृछ खातेदारी भुमि राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 158 रास–ब्यावर–माण्डल के लिए अवाप्त की जा रही है। उक्त भुमि का राजस्व रेकर्ड अनुसार समस्त खातेदारों के मध्य विधिक बॅटवाडा भी नही हो रखा है जबकि खातेदारों के मध्य मौके पर आपसी सहमति से पुर्वजो के समय से बॅटवाडा हो कर मौके पर समस्त खातेदार काश्त कर रहे है एव अपने अपने हिस्से पर लाखों रूप्ये खर्च कर उसे उपजाउ बनाया है। जिस लिए समस्त खातेदार अपने अपने हिस्से की भुमि छोडने को तैयार नही है। मौके पर वादीगण प्रतिवादी सं. 9 कोयली पत्नि बुधसिंह, प्रतिवादी सं. 45 रविन्द्रसिंह पुत्र बुधासिंह की मौके पर शामलाती भुमि है जिस पर उन्होने लाखों रूप्ये खर्च कर चारो तरफ पक्की चारदिवारी की गई है एवं मौके पर वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 9, 45 ने लाखों रूप्ये लगाकर बेरा खुदवाया है जा वादीगण प्रतिवादी सं. 9, 45, का ही है शेष अन्य खातेदार का कोई हक हिस्सा नही बनता है के हिस्से मे बेरा खुदा हुआ उक्त चारदिवारी एवं कुआं भी अवाप्ति मे शामिल है इसलिए मौके पर विवादित भुमि मे अवाप्त समपुर्ण भुमि वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 9, 45, खातेदारों की भुमि ही हो रही है जिस कारण मौके पर वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 9, 45, की खातेदारी भुमि अवाप्त होने से मुआवजा जमीन कुआं तथा चारदिवारी की क्षतिपुर्ति राशि वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 9, 45, को ही प्रदान की जावें नही हो वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 9, 45, के हित अधिकारों का कुठारधात होगा एवं लाखों रूप्यों कि हानि का सामना करना पडैगा जिसकी भरपाई किसी भी सुरत मे पुरी नहीं कि जा सकती है। वादीगण ने कई मर्तबा प्रतिवादी संख्या 1 से 59 से निवेदन किया कि वादपत्र के पेरा नंबर 1 में वर्णित वादग्रस्त आराजी मे वादी के हिस्से पर कब्जा नही करे एवं विवादित भुमि को अपने–अपने हिस्से अनुसार बॅटवारा करवा लेवें, लेकिन प्रतिवादी सं. 1 से 59 ने वादीगण के हिस्से की भूमि नाजायज कब्जा करने की बदनियती रखते हैं। इसलिए प्रतिवादी संख्या 1 से 59 एकराय होकर वादीगण के हिस्से की भूमि पर कब्जा कर उक्त आराजी भूमि से वादीगण को बेदखल करने पर आमादा रहते है। वादीगण के बार–बार बॅटवारा करने की बात कहने पर वादीगण के साथ गाली–गलौच करते हुए मारपीट करने पर अक्सर उतारू होते हैं। वादीगण ने अवाप्त भुमि का मुआवजा हेतु प्रतिवादीगण से निवेदन किया कि मौके पर सम्पुर्ण भुमि हमारी अवाप्त हो रही है एवं मुआवजा सभी को मिल रहा है जो समस्त खातेदारों द्वारा उठा कर वादीगण को प्रदान किया जावें परन्तु सहखातदारों ने रूप्ये देने से मना कर दिया एंव विवादित भुमि मे अपने काबिज स्थान पर हिस्सा देने से मना कर दिया। अगर अवाप्त भुमि का मुआवजा बटवारा होने से पुर्व दिया जाता है तो खातेदारों के मध्य बडा विवाद उत्पन्न हो सकता है इसलिए मुआवजा राशि को बॅटवारा होने तक वितरण नही किया जावें जिससे किसी भी पक्षकार का आर्थिक मानसिक हानि न हो एवं मल्टीप्रासेडिग से बचा जा सके। वादीगण ने प्रतिवादी संख्या 1 से 59 के मध्य अवाप्ती के रकम को लेकर एवं बॅटवाडा को लेकर विवाद होने पर बार बार अपने कब्जे अनुसार बटवाडा करने का निवेदन किया तथा अवाप्ती राशि वादीगण को देने का निवेदन किया एवं वादीगण की भुमि मे दखलअदांजी नही करने का निवेदन किया जो प्रतिवादीगण ने बार बार मना कर दिया। वादीगण ने पुनः निवेदन कर प्रार्थना की कि उक्त संयुक्त वादग्रस्त आराजी कृषि भूमि का बॅटवारा मौके अनुसार बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स के तकास्मा करवाकर खाते अलग से दर्ज करवाने अपने हिस्से के खाते व हिस्से एवं नजरी नक्शे अनुसार नक्शा ट्रेश मे तरमीम रखने का तकास्मा करवाने का कहा–मगर प्रतिवादीगण की नियत सहीं नहीं होने से उन्होंने बन्टवाडा करवाने से दिंनाक 14.08.2021 को मना कर दिया, जबकि प्रतिवादीगण को ऐसा करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है वादी अपने कब्जे अनुसार नजरी नक्शे अनुसार विवादित भुमि का तकास्मा करवाने का अधिकारी है इसलिए दावा तकास्मा आराजी एवं स्थाई निषेघाज्ञा का खिलाफ प्रतिवादीगण पेश हैं। वाद तकास्मा आराजी वादीगण अपनी खातेदारी कब्जे काश्त व हिस्से की वादग्रस्त भुमि का उपयोग उपभोग बतौर खातेदार काश्तकार के करने का अधिकारी है व प्रतिवादीगण को वादीगण के हक हिस्से व कब्जे काश्त खातेदारी की भुमि में किसी प्रकार की दंखलअदाजी, बाधा पैदा करने का कोई कानुनी अधिकार नहीं है यदि प्रतिवादीगण द्वारा ऐसा किया गया तो वादी को अपुर्णीय क्षति होगी प्रतिवादी द्वारा ऐसा किया गया तो वादी को बार बार दिवानी फौजदारी करने पडेंगे, जिससे मल्टी प्लीसिटी आफॅ प्रोसिडिंग्स होगी, इसलिए वादी प्रतिवादीगण के विरूद्व कब्जे के अनुसार तकास्मा कर नक्शा तरमीम करवा कर खातेदारी अलग–अलग अपने–अपने हिस्से अनुसार करवाने के लिये बटवाड़ा किया जाने एवं स्थाई निषेधाज्ञा हेतु उपरोक्त वाद प्रस्तुत कर रहा है। बिनायदावा दिंनाक 14.08.2021 को वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण को अवाप्ति की राशि नही लेने एवं वादीगण के पक्ष मे सहमति प्रदान करने का निवेदन करने पर प्रतिवादीगण द्वारा ऐसा करने से मना करने व वादीगण को अपने हिस्से की भुमि से बेदखल करने की एलानिया धमकी देने पर बमुकाम कोलपुरा पटवार हल्का बाबरा मे पैदा हुआ, जो अन्दर मयाद हक अख्त्यार समायत अदालत बाला के है। उपरोक्त तमाम तथ्यों एवं परिस्थितियों में वादीगण का वाद उनके हक में प्रथमदृष्टया साबित है तथा सुविधा का

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
रायपुर (ब्यावर)

संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति का बिन्दु भी वादी के पक्ष में है। प्रतिवादीगण 1 से 69 को उपरोक्त वादपत्र के पद सं. 1 में वर्णित वादग्रस्त आराजियात में संयुक्त खातेदार होने से आवश्यक पक्षकार बनाया गया है। एवं प्रतिवादीगण संख्या 62 राजस्थान सरकार जरिये ए. सचिव होने से प्रतिवादी सं. 60 द्वारा भूमि अवाप्त करने एवं मुआवजा निर्धारण की कार्यवाही करने एवं प्रतिवादी सं. 61 के पक्ष में अवाप्त भूमि दर्ज करने से वाद में आवश्यक पक्षकार बनाये गये हैं जिनको कि वाद दायरी से 2 माह पूर्व अंतर्गत धारा 80 जाब्ता दीवानी के सूचना दिया जाना आवश्यक होता है, लेकिन चूंकि प्रस्तुत वाद एक अतिआवश्यक प्रकृति का होने के कारण नोटिस देकर दो माह का इंतजार करने तक वादी के मौजूदा वाद का मकसद ही विफल हो जावेगा और प्रतिवादीगण द्वारा वादी को वादी की आराजियात से बेदखल कर देंगे। अतः नोटिस से छूट दिये जाने हेतु अलग से धारा 80(2) जाब्ता दीवानी का वाद पत्र पेश कर वाद प्रस्तुत करने की अनुमति प्राप्त की जा रही है। वादी की उपरोक्त वादग्रस्त आराजियात ग्राम कोलपुरा पटवार हल्का बाबरा, तहसील रायपुर में स्थित होने से श्रीमान को श्रवणाधिकार, क्षेत्राधिकार में है। वादपत्र के साथ द्वितीय प्रति, शपथपत्र एवं नजरी नक्शा कि प्रति पेश है जिसे वादपत्र का आवश्यक भाग माना जावे। मालियत दावा बगर्ज कोर्ट फीस बाबत घोषणा, तकासमा आराजी व बाबत स्थाई निषेधाज्ञा रूपये 200/- ,200/- की कायम की जाती है जिस पर मुकर्र सूता विल्स कोर्ट फीस स्टाम्प 6/- बतौर रसूम के वाद के साथ पेश है। डिक्री तकासमा वादीगण बहक प्रतिवादीगण के खिलाफ इस आशय से जारी किया जावे कि जमाबन्दी संवत् 2075-78 के अनुसार मौजा कोलपुरा पटवार हल्का बाबरा, तहसील रायपुर के वाके आराजी खसरा सं. 2448 रकबा 5.6170 में वादीगण एवं प्रतिवादीगण सहखातेदार काश्तकार दर्ज रेकर्ड है। तथा वादीगण एवं प्रतिवादीगण राजस्व रेकर्ड आनलाईन जमाबन्दी संवत 2075-2078 मे दर्ज अनुसार सहखातेदार दर्ज रेकर्ड है। वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 9, 45 की शामलाती खातेदारी भूमि, कब्जा सुदा भूमि नजरी नक्शे मे लाल रंग, प्रतिवादीगण की बिना रंग अनुसार मौके पर बंटी हुई है नजरी नक्शे अनुसार विवादित भूमि वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य राजस्व रेकर्ड मे बटी हुई नही होने से आये दिन विवाद कि स्थिति बनी रहती है इसलिये वादी के हिस्से अनुसार भूमि की मेंखबन्दी व पत्थर पक्की करवायी जावे, व राजस्व रेकर्ड मे तकासमा किया जावे व वादी को अपने दर्ज हिस्से का अलग खाता दर्ज किया जावे व अलग खसरा अनुसार बांटकर खसरे मे बटा नम्बर लगाकर राजस्व नक्शे मे अलग दर्शाई जाकर वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा लगान बांटा जावे। वादीगण के पक्ष में एवं प्रतिवादीगण के विरूद्व स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाकर प्रतिवादी संख्या 1 से 69 को पाबंद किया जावे कि प्रतिवादीगण स्वयं उनके परिवारजन, रिश्तेदारान, यार, दोस्त, नौकर चाकर, एजेंट, मुख्त्यार, मजूदर, मिस्त्री, हाली, अराईनोज अथवा अन्य कोई भी व्यक्ति चाहे वे कोई भी हो वे वाद के पद नंबर 1 में वर्णित वादग्रस्त आराजियात में वादीगण के हक, हिस्से, कब्जे, अधिकार, काश्त आदि में किसी तरह की कोई दखलअंदाजी नहीं करे, ना ही कोई बाधा अथवा अड़चन उत्पन्न करे, और ना ही वादी को उसके हिस्से की भूमि से बेदखल करे, ना ही ऐसा कोई कार्य व/या कृत्य नहीं करे कि जिससे वादी द्वारा अपने हिस्से की भूमि में किये जा रहे उपयोग, उपभोग, हक, अधिकार, कब्जे, काश्त, आदि में कोई बाधा व/या अड़चन व/या अवरोध उत्पन्न होते हो। विवादित भूमि खसरा सं. 2448 की खातेदारी भूमि मे से कुछ खातेदारी भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 158 रास-ब्यावर-मण्डल के लिए अवाप्त की जा रही है। उक्त भूमि का राजस्व रेकर्ड अनुसार समस्त खातेदारों के मध्य विधिक बँटवाडा भी नही हो रखा है जबकि खातेदारों के मध्य मौके पर आपसी सहमति से पुर्वजो के समय से बँटवाडा हो कर मौके पर समस्त खातेदार काश्त कर रहे है एव अपने अपने हिस्से पर लाखों रूप्ये खर्च कर उसे उपजाउ बनाया है। जिस लिए समस्त खातेदार अपने अपने हिस्से की भुमि छोड़ने को तैयार नही है। मौके पर वादीगण प्रतिवादी सं. 9 कोयली पत्नि बुधसिंह, प्रतिवादी सं. 45 रविन्द्रसिंह पुत्र बुधसिंह की मौके पर शामलाती भुमि है जिस पर उन्होने लाखों रूप्ये खर्च कर चारो तरफ पक्की चारदिवारी की गई है एवं मौके पर वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 9, 45, ने लाखों रूप्ये लगाकर बेरा खुदवाया है जा वादीगण प्रतिवादी सं. 9, 45, का ही है शेष अन्य खातेदार का कोई हक हिस्सा नही बनता है के हिस्से मे बेरा खुदा हुआ उक्त चारदिवारी एवं कुआं भी अवाप्ति मे शामिल है इसलिए मौके पर विवादित भुमि मे अवाप्त सम्पुर्ण भुमि वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 9, 45, 51 खातेदारों की भुमि ही हो रही है जिस कारण मौके पर वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 9, 45, 51 की खातेदारी भुमि अवाप्त होने से मुआवजा जमीन कुआं तथा चारदिवारी की क्षतिपुर्ति राशि वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 9, 45, को ही प्रदान की जावे नही तो वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 9, 45, के हित अधिकारों का कुठाराघात होगा एवं लाखों रूप्यों कि हानि का सामना करना पडेगा जिसकी भरपाई किसी भी सुरत मे पुरी नहीं कि जा सकती है। इसलिए या तो मुआवजा राशि वादीगण को प्रदान कि जावे अन्यथा विधिक रूप से बँटवारा

उपखण्ड मजिस्ट्रेट एवं उपखण्ड अधिकारी
रायपुर (ब्यावर)

नही होने तक मूआवजा राशि का वितरण नही किया जावें। खर्चा वाद वादीगण को प्रतिवादीगण से दिलाया जावे। अन्य कोई अनुतोष जो माननीय न्यायालय उचित माने तो वादी को दिलाया जावे।

वादीया का वाद दर्ज रजिस्टर कर जरिये सम्मन प्रतिवादीगण की तलबी की गई। प्रतिवादीगण संख्या 01 से 59 के सम्मन तामिली की गयी। प्रतिवादीगण तामील के बावजूद अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। वादी अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। अधिवक्ता वादी ने माफिक रेकर्ड एवं मौके अनुसार बन्टवाडा बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस की प्राथमिक डिकी जारी करवाने हेतु सहमत हैं। अतः उक्त वाद पत्र पर उपलब्ध दस्तावेज पर मनन, अधिवक्ता के मौखिक अभिकथनों से एवं अवलोकन के पश्चात् माफिक रेकर्ड एवं मौके अनुसार बन्टवाडा बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस की प्राथमिक डिकी जारी करने के आदेश दिये गये।

प्रार्थी दाखु देवी पत्नि मदनसिंह की ओर अधिवक्ता श्री सुरेन्द्र सिंह ने प्रार्थना पत्र वास्ते सेटसाईट व पक्षकार बनने हेतु तथा मय वकालतनामा व जबाव पेश किया हैं जो संलग्न पत्रावली हो। इस पर वादी अधिवक्ता ने जबाव नहीं देकर प्रार्थना पत्र पर बहस करना चाहते हैं। प्रार्थना पत्र बहस सुनी गई। वादी अधिवक्ता ने बताया कि उक्त अप्रार्थी को विधिवत् तामिल होने के बाद भी न्यायालय में उपस्थित रहा है। इसीलिए उक्त प्रार्थना पत्र खारिज किया जावें। प्रतिवादी अधिवक्ता ने अपने प्रार्थना पत्र मे बताया कि न्यायालय द्वारा नोटिस देरी से तामिल होने से उपस्थित नहीं रहा है, इसीलिए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावें। बहस समायत की जाकर नोटिस तामिली विधिवत् होने से उक्त प्रार्थना पत्र सेटैसाईट व पक्षकार बनने का खारिज किया जाता हैं।

प्राथमिक डिकी के आदेश की पालना में तहसीलदार रायपुर के पत्र कमांक/कोर्ट/2024/1934 दिनांक 06.11.2024 द्वारा बंटवाडा प्रस्ताव व नजरी नक्शा प्राप्त हुआ हैं।

अधिवक्तागण ने तहसीलदार रायपुर द्वारा पेश बंटवाडा प्रस्ताव अवलोकन किया गया हैं। अधिवक्तागण ने बंटवाडा प्रस्ताव अनुसार अंतिम डिकी जारी करने में अपनी सहमति प्रदान की हैं। बंटवाडा प्रस्ताव पर बहस समायत की गई। बहस, तहसीलदार रायपुर द्वारा पेश बंटवाडा प्रस्ताव तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो के मनन व अवलोकन के पश्चात् उक्त वादपत्र में तहसीलदार रायपुर द्वारा पेश बंटवाडा प्रस्ताव व नजरी नक्शा अनुसार बंटवाडा की अन्तिम डिक्री जारी किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता हैं।

आदेश

वादी का वाद बहक वादीगण विरूद्व प्रतिवादीगण स्वीकार किया जाकर उक्त वादपत्र में सरहद मौजा कोलपुरा पटवार हल्का बाबरा के खसरा नम्बर 2448 में तहसीलदार रायपुर द्वारा पेश बंटवाड़ा प्रस्ताव व नजरी नक्शा अनुसार बंटवाडा की अन्तिम डिक्री जारी करने के आदेश दिये जाते हैं। बंटवाडा प्रस्ताव के संलग्न, तहसीलदार रायपुर द्वारा पेश विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा इस निर्णय का आवश्यक भाग रहेगा। वादी की कब्जे काश्त की भूमि में काश्त के मुताबिक अन्य कार्य में दखलन्दाजी से प्रतिवादीगण उनके नौकर चाकर हाली एजेन्ट सगे संबंधी मित्र अथवा जो कोई भी हो को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा के रोका जाता है। तदानुसार डिकी पर्चा बनाया जावें। तहसीलदार रायपुर को आदेश दिया जाता हैं कि नियमानुसार स्टाम्प शुल्क जमा कर राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद करें। डिकी पर्चा एंव बंटवाड़ा प्रस्ताव के संलग्न नजरी नक्शा तहसीलदार रायपुर द्वारा पेश विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा की प्रति पालनार्थ तहसीलदार रायपुर को भेजी जावें।

गुलाबसिंह

(गुलाब सिंह वर्मा)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, रायपुर (ब्यावर)

यह निर्णय आज दिनांक 11.12.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

गुलाबसिंह

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, रायपुर (ब्यावर)

अंतिम डिक्री बमुकदमें मुबतदाई
ओ 20 रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी

अज अदालत :– उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,बमुकाम – रायपुर
पीठासीन अधिकारी :–श्री गुलाब सिंह वर्मा आर.ए.एस.

1. बुधासिंह पुत्र श्री धनासिंह, उम्र–व्यस्क,
2. आमना पत्नि श्री विक्रमसिंह, उम्र–व्यस्क,
3. मन्जुकंवर पत्नि श्री रविन्द्रसिंह, उम्र–व्यस्क,
4. मनोहरसिंह पुत्र श्री बुधासिंह, उम्र–व्यस्क,
5. विक्रमसिंह पुत्र श्री बुधासिंह, उम्र–व्यस्क,
6. सुशीला पत्नि श्री मनोहरसिंह, उम्र–व्यस्क, जाति–मेर (मेहरात), निवासी–कोलपुरा, तहसील–रायपुर,

वादीगण

बनाम

1. अजमाल पुत्र श्री मोती, उम्र–व्यस्क,
2. अनोपसिंह पुत्र श्री रामदा, उम्र–व्यस्क,
3. इन्द्रा पत्नि श्री मंगला, उम्र–व्यस्क,
4. उजीरी पत्नि श्री मोती, उम्र–व्यस्क,
5. उजीरी पत्नि श्री नाथु, उम्र–व्यस्क,
6. उम्मेद पुत्र श्री नाथु, उम्र–व्यस्क,
7. कचरू पुत्र श्री नरीबा, उम्र–व्यस्क,
8. कप्तानसिंह पुत्र श्री हुसैन, उम्र–व्यस्क,
9. कोयली पुत्र श्री बुधासिंह, उम्र–व्यस्क,
10. धीरी पत्नि श्री छीतर, उम्र–व्यस्क,
11. धीरी पत्नि श्री नरीबा, उम्र–व्यस्क,
12. छगा पुत्री श्री नरीबा, उम्र–व्यस्क,
13. छीतर पुत्र श्री अजा, उम्र–व्यस्क,
14. छोगा पुत्र श्री गम्भीरा, उम्र–व्यस्क,
15. छोटु पुत्र श्री गम्भीरा, उम्र–व्यस्क,
16. छोटु पुत्र श्री अमी, उम्र–व्यस्क,
17. छोटुसिंह पुत्र श्री छीतर, उम्र–व्यस्क,
18. जुगी पत्नि श्री रहमान, उम्र–व्यस्क,
19. जरीफी पुत्री श्री नजा, उम्र–व्यस्क,
20. जवरी पुत्र श्री गम्भीरा, उम्र–व्यस्क,
21. जोधा पुत्र श्री रामा, उम्र–व्यस्क,
22. दुर्गा पुत्री श्री रामदा, उम्र–व्यस्क,
23. दाखुदेवी पत्नि श्री मदनसिंह, उम्र–व्यस्क,
24. धुली पुत्री श्री बादर, उम्र–व्यस्क,
25. नजावी पत्नि श्री मंगला, उम्र–व्यस्क,
26. नैना पुत्री श्री नरीबा, उम्र–व्यस्क,
27. नुरी पत्नि श्री मिश्रु, उम्र–व्यस्क,
28. पदमा पुत्र श्री मोती, उम्र–व्यस्क,
29. पुनमसिंह पुत्र श्री किशना, उम्र–व्यस्क,
30. प्रताप पुत्र श्री रामा, उम्र–व्यस्क,
31. वनी पुत्री श्री बादर, उम्र–व्यस्क,
32. वावु पुत्र श्री नाथु, उम्र–व्यस्क,
33. वावु पुत्र श्री रामा, उम्र–व्यस्क,
34. वावुसिंह पुत्र श्री नजा, उम्र–व्यस्क,
35. भंवरू पुत्र श्री गम्भीरा, उम्र–व्यस्क,
36. महेन्द्र पुत्र श्री मिश्रु, उम्र–व्यस्क,
37. मेहफुल पुत्री श्री रामा, उम्र–व्यस्क,
38. मादा पुत्र श्री नुरा, उम्र–व्यस्क,
39. मानसिंह पुत्र श्री किशना, उम्र–व्यस्क,
40. मिठु पुत्र श्री गम्भीरा, उम्र–व्यस्क,
41. मोटा पुत्र श्री अमी, उम्र–व्यस्क,
42. मोहन पुत्र श्री हुसैन, उम्र–व्यस्क,

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
रायपुर (ब्यावर)

मोहनसिंह पुत्र श्री किशना, उम्र–व्यस्क,
43. रतन पुत्र श्री मंगला, उम्र–व्यस्क,
44. रतिन्द्रसिंह पुत्र श्री बुद्धासिंह, उम्र–व्यस्क,
45. रामसिंह पुत्र श्री नजा, उम्र–व्यस्क,
46. रोशन पुत्र श्री दाउ, उम्र–व्यस्क,
47. लक्ष्मी पुत्री श्री बादर, उम्र–व्यस्क,
48. लादु पुत्र श्री बादर, उम्र–व्यस्क,
49. लाला पुत्र श्री गम्भीरा, उम्र–व्यस्क,
50. विरेन्द्रसिंह पुत्र श्री मिश्रु, उम्र–व्यस्क,
51. शान्ती पुत्री श्री रामा, उम्र–व्यस्क,
52. शान्ति पुत्री श्री नरसीबा, उम्र–व्यस्क,
53. सुगरा पुत्री श्री दाउ, उम्र–व्यस्क,
54. सायर पुत्र श्री रामा, उम्र–व्यस्क,
55. सोहन पुत्र श्री हुरौन, उम्र–व्यस्क,
56. हुकम पुत्र श्री हुरौन, उम्र–व्यस्क,
57. हरि पुत्र श्री जफरू, उम्र–व्यस्क,
58. हावु पत्नि श्री किशना, उम्र–व्यस्क, समस्त प्रतिवादीगण जातियान–मेर(मेहरात), निवासी–कोलपरा बाबरा तहसील–रायपुर जिला पाली राज.
59. भुमि अवाप्ति अधिकारी, रायपुर राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 158 रास–ब्यावर–माण्डल भुमि अवाप्ति कार्यालय रायपुर तहसील रायपुर जिला पाली राज.
60. प्रोजेक्ट मैनेजर राष्ट्रीयराजमार्ग सं. 158 रास–ब्यावर–माण्डल ब्यावर जिला अजमेर
61. राजस्थान सरकार बजरिये लैण्ड होल्डर श्रीमान तहसीलदार महोदय, रायपुर, जिला पाली (राज.)
62.

दावा बाबत् तकास्मा एवं स्थाई निषेधाज्ञा वादपत्र अन्तर्गत धारा 53 '92 व 188 राज. काश्त. अधि.

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतईरूवरू हमारे व हाजरी श्री जसवन्तसिंह सांखला अधिवक्ता वादी मिनजानिब मुदईव हाजरी प्रतिवादीगण संख्या 1 से 59 अनुपस्थित मिनजानिब मुदायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है अतः वादी का वाद बहक वादीगण विरूद्व प्रतिवादीगण स्वीकार किया जाकर उक्त वादपत्र में सरहद मौजा कोलपुरा पटवार हल्का बावरा के खसरा नम्बर 2448 में तहसीलदार रायपुर द्वारा पेश बंटवाड़ा प्रस्ताव व नजरी नक्शा अनुसार बंटवाडा की अन्तिम डिक्री जारी करने के आदेश दिये जाते हैं। बंटवाडा प्रस्ताव के संलग्न, तहसीलदार रायपुर द्वारा पेश विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा इस निर्णय का आवश्यक भाग रहेगा। वादी की कब्जे काश्त की भूमि में काश्त के मुताबिक अन्य कार्य में दखलन्दाजी से प्रतिवादीगण उनके नौकर चाकर हाली एजेन्ट सगे संबंधी मित्र अथवा जो कोई भी हो को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा के रोका जाता है। तदानुसार डिक्री पर्चा बनाया जावें। तहसीलदार रायपुर को आदेश दिया जाता हैं कि नियमानुसार स्टाम्प शुल्क जमा कर राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद करें। डिक्री पर्चा एंव बंटवाड़ा प्रस्ताव के संलग्न नजरी नक्शा तहसीलदार रायपुर द्वारा पेश विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा की प्रति पालनार्थ तहसीलदार रायपुर को भेजी जावें।

नीज.....×.....मुवलिक.....×.....बाबत्.....×..... खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर ....×.....फीस सदी सालाना आज तारीख वसूल याबी तक .....×.....को अदा करे।

बसिव्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 11.12.2024 को जारी किया गया।

(गुलाब सिंह वर्मा)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर, रायपुर (ब्यावर)

मुद्दई		रूपया	पै.	मुद्दयलह		रूपया	पै.
स्टाम्प अर्जीनामा	–	06	00	स्टाम्प वकालतनामा	–	00	00
स्टाम्प वकालतनामा	–	02	00	स्टाम्प हाजरी	–		
स्टाम्प वजह सबूत	–	00	00	मेहनताना वकील पर	–		
मेहनताना वकील	–			खर्चा गवाहान	–		
खर्चा गवाहान	–			फीस कमिश्नर	–		
फीस कमिश्नर	–			बाबत इजराय हुक्मनामा	–		
बाबत इजराय हुक्मनामा	–			मुतफरिक	–	0	00
मुतफरिक	–		00	मीजान		00	00
मीजान		08	00				

नोट :– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिक्री के जरिए दिलाया गया हो नही दर्ज किया जावें।